

3.17 पत्रावली पेश हुई। तलखाना पेश करने  
 हेतु सारा रिफा वारंट दि. 11.5.17 को  
 पेश हो।

5.7.0

11.5.2017 डेम्प-मादा

पत्रावली लोक अदालत शिविर डेम्प मादा में पेश हुई।  
 परिवारी संख्या 1 उपस्थित। पत्रावली एवं उपलब्ध  
 रिफांडिका अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन  
 से यह जाहिर है कि परिवारी संख्या 2 से 7 की  
 तलबी हेतु 20.4.2016 से निरन्तर वकील  
 वादीको निरन्तर निर्देश दिये जाने के बावजूद  
 (PIF) सम्मत प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। एवं पत्रावली  
 दिनांक 20.4.2016 से आज दिनांक तक वकील वादी  
 द्वारा सम्मत एवं सचवा (PIF) न्यायालय में प्रस्तुत  
 नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में इस वाद को हम  
 लम्बित रखना उचित नहीं समझते हैं अतः वादवादी  
 को देश प्रतिषेध 2 CPC में उल्लेखित प्रावधानों के अन्तर्गत  
 युक्ति वादी (PIF) सम्मत प्रस्तुत करने में असफल रहा है नहीं  
 इस संबंध में कोई धृष्टिक से ज.प्र ही प्रस्तुत किया गया है।  
 अतः वाद वादी स्वरीक किया जाता है। डिफ्री पर्चा जारी हो।  
 आदेश आज दिनांक 11.5.2017 को मजमा क आम में हुआ  
 गया। पत्रावली पेशाल थुमार होकर संख्या के अंत में

(राजेश मेवाडा)

RAS  
 उपखण्ड अधिकारी  
 देसरी (पाली)